भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 1465

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

खराब पड़े हैंड पम्प

1465. श्रीमती विप्लव ठाकुरः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निधि से लगाए गए कई हैंड पम्प खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों को खराब पड़े हैंड पम्पों की मरम्मत कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में नए हैंड पम्प लगाने के लिए सहायता प्रदान करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई समय–सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित किए गए कुल 5808915 हैंडपंपों की तुलना में 239685 हैंड पंप निष्क्रिय हैं। प्रतिस्पर्धी सेक्टर (कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य) द्वारा भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण जल स्रोतों के सूखने और अपर्याप्त वर्षा के कारण भू-जल का अपर्याप्त पुनर्भरण होने जैसे विभिन्न कारणों की वजह से हैंड पंप निष्क्रिय हो जाते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत, यह मंत्रालय नल जलापूर्ति द्वारा ग्रामीण आबादी के कवरेज के लिए राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तथापि, जापानी एनसेफेलाइटिस/उग्र एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई-एईएस) प्रभावित क्षेत्रों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 2 प्रतिशत चिह्नित है जहाँ एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत उथले हैंड पंपों को बदलकर इंडिया मार्क-।। अथवा उच्च वर्जन के पंपों को लगाने की अनुमति है। इसके अलावा, ग्रामीण पेयजलापूर्ति राज्य का विषय है और राज्यों के पास हैंड पंपों सहित पेयजलापूर्ति स्कीमों के निर्माण/मरम्मत हेतु आयोजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और प्रचालन की शक्ति है।

****